

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक एफ. 10(61)नवि/3/96पार्ट

जयपुर, दिनांक :- **16 APR 2013**

परिपत्र


पूर्व में पर्यटन इकाई नीति-2007 के तहत नगरीय विकास विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.12.2007 जारी किया जाकर नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि रूपांतरण, पुरा सम्पत्तियां (जो आवासीय या अन्य उपयोग में आ रही हैं) को होटल एवं अन्य पर्यटन इकाईयों में संपरिवर्तन किये जाने के संबंध में, हैरिटेज पुरा सम्पत्तियों व आवासीय भूखण्डों व भवनों में चल रहे होटल के नियमन, एफ.ए.आर. में वृद्धि आदि में छूट दी गई थी। यह छूट पर्यटन इकाई नीति-2007 की पालना में पर्यटन इकाईयों के मार्च, 2010 तक स्थापित किये जाने की शर्त पर जारी की गई थी, जिसे विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 02.05.2011 के द्वारा 31.03.2013 तक बढ़ाया गया था।

उक्त परिपत्र दिनांक 24.12.2007 के द्वारा दी गई छूट दिनांक 31 मार्च, 2014 तक स्थापित किये जाने वाली पर्यटन इकाईयों को, प्रदान करने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
9. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को अपने स्तर से समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करें।
13. निदेशक, पर्यटन विभाग।
14. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
15. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
16. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय